न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या 1/2019

शिवराज सिंह पुत्र श्री नृसिंह सिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. बाबूलाल } पुत्रान सुखपाल
2. धन्नालाल
3. बसन्ती } पुत्रियां सुखपाल
4. कमला
5. बादाम
6. विनोद } पुत्र जमनालाल
7. राकेश
8. अनिल
9. रेखा पुत्री जमनालाल
10. गुलाब बाई बेवा जमनालाल

(1 से 10) जातियान चमार निवासीगण किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा सपठित धारा 175 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील प्रतिवादीगण : कोई उपस्थित नहीं
दायरा दिनांक: 03.01.2019 निर्णय दिनांक : 07.01.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 227 रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम मूण्डला तह0 मांगरोल में स्थित है। उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता तथा दादा सुखपाल पुत्र बालकिशन के आवंटन हुयी थी, जिसके पुराना खसरा नं0 209 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 210 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा जो सम्वत 2032 से 2035 राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो रही है। प्रतिवादीगण के पिता तथा दादा ने उक्त आराजी वादी को रू0 40000 में दिनांक 19.07.1989 को बैचान कर कब्जा संभला दिया था। प्रतिवादीगण ने अपने पिता के स्वर्गवास के पश्चात दिनांक 05.11.2011 को इन्तकाल दर्ज करवा लिया है। जो वर्तमान में भी गैर खातेदारी में आराजी चली आ रही है लेकिन विवादित आराजी का राजस्व कर वादी ही जमा कराता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के पिता जिन्दा रहे तब तक किसी ने कोई विवादि नही किया तथा वादी बिना किसी व्यवधान एवं बाधा के आराजी पर सन् 1989 से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार से प्रतिवादीगण ने वादी का कब्जा स्वीकार कर मान्यता दी है। इस प्रकार से वादी लम्बे अर्से से उक्त विवादित आराजी पर काबिज

[illegible] कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत नही करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण/प्रतिवादी गण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 25.04.2012 को वकील हरिओम यादव द्वारा वकालतनामा पेश किया गया और मात्र प्रतिवादी कम 6 विनोद कुमार पुत्र जमनालाल की ओर से जवाबदावा व काउन्टर क्लेम दिनांक 19.06.2012 को पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। जवाब दावा व काउन्टर क्लेम में मात्र प्रतिवादी कम 6 विनोद कुमार के हस्ताक्ष है लिहाजा उक्त जवाबदावा व काउन्टर क्लेम सिर्फ विनोद कुमार का ही समझा जावेंगा। जवाब दावा व काउन्टर क्लेम में कथन किया कि:-

01. वाद पत्र की मद नं0 1 अस्वीकार है। आराजी वादी के कब्जे काश्त में नही है।
02. वाद पत्र की मद नं0 2 रेकार्ड से संबंधित होने से स्वीकार है।
03. वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा ही किया जा सकता है। शेष मद विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 जिस प्रकार से लिखा गया हैं, अस्वीकार है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5 गलत है अस्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6 गलत है अस्वीकार है पूर्ण विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
07. वाद पत्र की मद नं0 7 गलत है अस्वीकार है
08. वाद पत्र की मद नं0 8 व 9 कानूनी है।
09. वाद पत्र की मद नंद0 10 अस्वीकार है, कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ हैं।

विशेष कथन व काउन्टर क्लेम :- यह कि वादी स्वर्ण व दबंग है यह दबंगो का अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार का और मनमानी का स्पष्ट उदाहरण है, कथित बैचान सर्वथा फर्जी विधि विरूद्ध तथा न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। वादी ने प्रतिवादीगण के पिता की आराजी हडपने के लिये फर्जी विक्रय पत्र तैयार किया है। सवर्ण व्यक्ति को कभी भी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति की आराजी पर प्रतिकूल कब्जा प्राप्त नही होता है, यह राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय की स्पष्ट व्यवस्था है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावें। तथा वादी सवर्ण दबंग ने जिस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी हडपने का षढयंत्र किया है उसको देखते हुए प्रतिवादीगण का यह काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादी को पाबंद किया जावें िकवह ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल में स्थित प्रतिवादीगण के खाते की आराजी खसरा नं0 227 रकबा 1.14 है0

प्रतिवादीगण व उनके किसी वैध प्रतिनिधि को काश्त करने में न कोई रूकावट स्वयं डाले न अन्यों से [illegible]

वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाबुल जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। वादी द्वारा निम्न जवाब उल जवाब पेश है:-

01. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 1 अस्वीकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा के मध्य घनिष्ठ संबंध थें, तथा आपस में लेन देने किया करते थे। प्रतिवादीगण के दादा को पैसों की आवश्यकता होने से अपने आवंटन शुदा आराजी को रू0 40000 में दिनांक 19.07.1989 को बैचान कर दिया। एवं आराजी का कब्जा संभला दिया वादी उक्त समय से ही आराजी पर बिना किसी व्यवधान के काश्त कर रहा है।
02. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 2 अस्वीकार है। सुखपाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण वादी से ओर रूपये की मांग करने लगे तथा रूपये नही देने पर मुकदमें में फंसाने की धमकिया देने लगे।
03. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 3 अस्वीकार है। वादी ने कानूनी रूप से कार्यवाही की है।
04. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 4 अस्वीकार है।
05. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा है।
06. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 6 अस्वीकार है।
07. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 7 कानूनी है।

अतः जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवदेन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर सव्यय खारिज फरमावें।

वाद पत्र व जवाब दावा काउन्टर क्लेम तथा जवाबुल जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

01. आया ग्राम मूण्डला के हाल खसरा नं0 227 रकबा 1.14 है0 पर वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हैं।
    वादी
02. आया प्रतिवादीगण के पिता तथा दादा ने विवादित भूमि दिनांक 19.07.1989 को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था।
    वादी
03. आया विक्रय अनरजिस्टर्ड होने से स्वीकार योग्य नही है तथा कब्जा काश्त प्रतिवादी का है।
    प्रतिवादी

प्रतिवादी

वादी, प्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की है, तथा कोई दस्तावेंज भी प्रदर्श नही कराया है वादी की साक्ष्य दिनांक 10.07.2017 को बंद की जा चुकी है।

प्रतिवादीगण की साक्ष्य दिनांक 14.09.2017 से प्रारम्भ की गई ओर 7 अवसर देने पर अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की गई है तथा प्रतिवादीगण की साक्ष्य दिनांक 07.01.2019 को बंद की गई। उभय पक्ष की आरे से ना तो साक्ष्य पेश की गई है और न ही दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये है, ऐसी स्थिति में तनकी नम्बर एक लगायत 4 का निर्णय उभयपक्ष वादी व प्रतिवादीगण कम 1 ता 10 के विरूद्ध किया जाता है।

दादरसीः– पत्रावली में आवंटन आदेश की फोटो प्रति दिनांक 26.11.1975 पेश है। जो कि सुखपाल पुत्र बालकिशन जाति चमार निवासी किशनपुरा के नाम आवंटन आदेश है। जिसके हाल खसरा नं0 227 रकबा 1.14 है0 है।

पत्रावली में प्र0 सं0 5/12 (विनोद कुमार बनाम शिवराज सिंह अन्तर्गत धारा 183 बी) में चादी गई हल्का पटवारी किशनपुरा की मौका रिपोर्ट है जिसमें मौके पर कब्जा शिवराजसिंह का बताया गया है तथा आराजी सुखपाल पुत्र बालकिशन चमान के नाम दर्ज है। वकील वादी ने बहस में बताया कि आवंटन 1975 का है और 43 वर्ष निकल जाने के बाद भी प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुऐ है जिससे साबित होता हे कि प्रतिवादी का कब्जा आराजी पर कभी भी नही रहा है। प्रार्थी/वादी ने आराजी खरीद करने का इकरार नामा दिनांक 19.07.1989 फोटो प्रति तथा 17 किता रसीद तावान (लगान) पेश की है तथा आराजी का मिलान क्षेत्रफल भी पेश है।

वकील प्रार्थी ने बहस में बताया कि आराजी वादी ने सादा तहरीर दिनांक 19.07.1981 को 40000 रू0 विकय राशि देकर आवंटी सुखपाल से आराजी खरीद कर ली थी। आगे बताया कि आराजी पर सुखपाल का ही कब्जा नही रहा है ऐसी परिस्थिति में विरासतान इंतकाल अप्रार्थी दर्ज करने की कोई आवश्यकता ही नही थी।

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया और इस निष्कर्श पर पहुंचा है कि सुखपाल पुत्र बालकिशन चमार आवंटी से आराजी खसरा नं0 227 रकबा 1.14 है0 वादी शिवराज सिंह ने खरीद कर ली थीं। और सन 1989 से कब्जा वादी शिवराज सिंह का ही चला आ रहा है आवंटी सुखपाल जाति से चमार होने से शिवराज सिंह के खाते नही बांधी जा सकती, ओर प्रतिवादीगण का कब्जा आराजी पर कभी भी

[illegible] आराजी का बेचान कर चुका है ऐसी स्थिति में खसरा नं0 227 रकबा 1.14 है0 [illegible] आराजी को राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। ताकि [illegible] को आवंटन हो सके।

[illegible] वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। गैरखातेदारी इंतकाल नं0 174 [illegible] अप्रार्थीगण खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण का खाते में से नाम खारिज किया जाता है। आराजी खसरा नं0 227 रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम मूण्डला तह0 मांगरोल जिला बारां को राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज किऐ जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना